तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
3/7/24	पत्रा. पेश हुई। वजूहात अर्जी. वादकारी- इन्द्राज प्रार्थना अनुसार दर्ज किया। खाता की नकल प्रमाण के लिखाया।- खाता दुरुस्त किया जावे पत्रा वापिस की पत्रा. तहसीलदार-कुमार दिनांक मय नकल से वापस दाखिल दफ्तर हो। [signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:52:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान रमेश बनाम साहबसिंह वगैरा

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 32/2018

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नंबर 366 रकबा 0.08, 367 रकवा 0.08, 368 रकबा 0.12, 369 रकबा 0.08, 370 रकबा 0.04, 371 रकबा 0.04, 372 रकबा 0.08, 373 रकबा 0.08, 374 रकबा 0.08 किता 9 रकबा 0.58 हैक्टैयर वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई का 1/8 हिस्सा जो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 4 के नाम अंकित है को कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

वेज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ____________ फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयावी तक ~~3.7.24~~ की अदा करें ।

द दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई ।

दस्तखत (हस्ताक्षर) 3/7/24
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:52:26 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर) 3/7/24
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with CamScanner

1. रमेश पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. साहबसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर।
2. मोहनसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर।
3. केशवदेव पुत्र जगतसिंह जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर।
4. ओप्रकाश पुत्र जगतसिंह जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर।
5. राज. सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

3/7/24

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:52:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 32/2018
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2018/00061
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक - 03.07.24

1. रमेश पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. साहबसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर।
2. मोहनसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर।
3. केशवदेव पुत्र जगतसिंह जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर।
4. ओप्रकाश पुत्र जगतसिंह जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर।
5. राज. सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री रघुवीरशरण गुप्ता एड.(वादी की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188आर.टी.ए.

1. यह कि वादी एंव प्रतिवादीगण में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुकदमा के लिए योग्य नहीं हो यानि दोनों पक्ष मुकदमा के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:52:26 IST
Reason: SelfAttested

3/7/24

Scanned with CamScanner

2. यह कि विवादित आराजी खसरा नंबर 366 रकबा 0.08, 367 रकबा 0.08, 368 रकबा 0.12, 369 रकबा 0.08, 370 रकबा 0.04, 371 रकबा 0.04, 372 रकबा 0.08, 373 रकबा 0.08, 374 रकबा 0.08 किता 9 रकबा 0.58 हैक्टैयर वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई का 1/8 हिस्सा जो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 4 के नाम अंकित है।

3. यह कि मद संख्या 2 में अंकित हाल विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 287 रकबा 0.06, वि.288 रकबा 0.06, वि. 289 रकबा 0.06, वि290 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा किता 4 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई से बने हैं।

4. यह कि उक्त साबिक खसरा नंबर 287, 288, 289, 290 किता 4 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा का 1/8 हिस्सा का रिकार्डेड खातेदार काबिज खातेदार जगत सिंह व हैता पिता रामरूप था जिन्होंने अपना 1/8 हिस्सा जरिए रजि. विक्रयपत्र 28.6.2002 को मुझ वादी को विक्रय कर दिया तथा विक्रय पत्र ता. 28.06.2002 से आज तक मुझ वादी का उक्त आराजी पर काबिज चला आ रहा है। तथा मुझ वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। वादी ने उक्त आराजीयात पर विक्रय पत्र 28.6.2002 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कराने हेतु ग्राम पचांयत जहांगीरपुर में प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 1025 में कॉलम सं.5 में वादी का इन्द्राजात भी कर दिया तथा कार्यालय ग्राम पंचायत जहांगीरपुर ने दिनांक 20.7.04 को नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए परन्तु सहवन से सरपंच महोदय के हस्ताक्षर नहीं हुए इस पर वादी ने राजस्व अभियान में कार्यवाही की तथा राजस्व अभियान में नायब तहसीलदार नदबई को नामान्तरकरण दर्ज कराने के आदेश जारी किए परन्तु नायब तहसीलदार नदबई ने विक्रेता जगतसिंह व हेता की मृत्यु होने के कारण उनके स्थान पर विरासतन से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 4 अंकन होने के कारण उन्होंने नामान्तकरण दर्ज करने की असमर्थता दर्शित की [illegible] न्यायालय श्रीमान में दावा पेश करने का आदेश दिया इसी दौरान प्रति[illegible] ने दिनांक 29.03.2018 को विवादित आराजी को विक्रय करने को मुझ वादी को धमकी दी, यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:52:26 IST
Reason: SelfAttested

3/7/24

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण उक्त दी गई धमकी में कामयाब हो जाते हैं तो मुझ वादी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी। तथा वादी अपनी आराजी से महरूम हो जावेगा। ऐसी स्थिति में वादी वादपत्र की मद सं. 2 में अंकित आराजी पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है, तथा रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 का जो वर्तमान इन्द्राज हो रहा है। उसे कलमजन कराकर वादी अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 को जरिये हुक्मइम्तनाईदवामी की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी है कि वह विवादित आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें।

5. यह कि वादी द्वारा प्रार्थना की गई कि विवादित आराजी जिस पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 का रिकॉर्ड में 1/8 हिस्से पर खातेदारी अंकित हो रही है, उसे कलमजन किया जाकर वादीगण की खातेदारी दर्ज की जावे व वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

6. यह कि वादीगण का वादपत्र अंतर्गत धारा 88,89,188 आरटीए के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की ओर से पृथ्वीसिंह एडवोकेट उपस्थित हुये, शेष प्रतिवादी 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की ओर से इकबाल दावा पेश किया गया तथा वादी के वादपत्र को स्वीकार किया गया तथा मुताबिक प्रार्थना पत्र वादपत्र डिक्री किये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

7. वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजों के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2071–74 वाके ग्राम जहांगीरपुर प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी संवत 2063–66 वाके ग्राम जहांगीरपुर प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत 2052–55 वाके ग्राम जहांगीरपुर प्रदर्श–3, नकल बयनामा दिनांक 28.06. 2002 वाके ग्राम जहांगीरपुर प्रदर्श–4, नकल [illegible]न्तकरण वाके ग्राम जहांगीरपुर प्रदर्श–5, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:52:26 IST
Reason: SelfAttested

3/7/24

Scanned with CamScanner

जहांगीरपुर प्रदर्श–6, एवं वादी रमेश पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी जहांगीरपुर का शपथपत्र पेश किया गया।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादपत्र में दर्ज विवादित आराजी खसरा नंबर 366 रकबा 0.08, 367 रकबा 0.08, 368 रकबा 0.12, 369 रकबा 0.08, 370 रकबा 0.04, 371 रकबा 0.04, 372 रकबा 0.08, 373 रकबा 0.08, 374 रकबा 0.08 किता 9 रकबा 0.58 हैक्टैयर वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई का 1/8 हिस्सा जो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 4 के नाम अंकित है, जबकि जमांबदी संवत 2071–74 से साबित है। जो नकल जमाबंदी संवत 2071–74 से साबित है। विवादित आराजी के साविक खसरा न. 287 रकवा 0.06 बिस्वा, 288 रकवा 0.06 बिस्वा, व 289 रकवा 0.06 बिस्वा, 290 रकवा 1 बीघा 7 बिस्वा किता 4 रकवा 2 बीघा 5 बिस्वा से बने हैं, उक्त साविक खसरा नम्बरान का रिकॉर्डेड खातेदार जगतसिंह व हेता पिसरान रामरूप था, जिन्होंने अपना 1/8 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2002 से वादी के हक में किया गया। जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत नकल फोटोप्रति वयनामा प्रदर्श 4 से सावित है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण का नामान्तकरण सं. 1025 में कॉलम सं. 5 में वादी के नाम इन्द्राजात कर दिया गया जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत नकल नामांतकरण प्रदर्श–5 से साबित है। परन्तु उक्त वयनामा के नामांतकरण के आदेश पर सहवन से सरपंच द्वारा तस्दीक नहीं हो सका इस दौरान विक्रेता जगतसिह व हेता की मृत्यु हो जाने के कारण विरासतन के रूप में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के नाम दर्ज की गई है। वादी मुताबिक वयनामा काबिज काश्त है तथा हाल रिकॉर्ड में विवादित आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र को मुताबिक प्रार्थना अनुसार स्वीकार [illegible] हेतु अपना इकबाल दावा वादपत्र में पेश किया [illegible] तथा किसी प्रकार [illegible] कोई आपत्ति पेश नहीं की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:52:26 IST
Reason: SelfAttested

3/7/24

Scanned with CamScanner

गई इसके अलावा स्वयं का शपथपत्र पेश किया गया जो वादपत्र का समर्थन करता है लिहाजा वादी का वादपत्र काबिल डिक्री के है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 366 रकबा 0.08, 367 रकबा 0.08, 368 रकबा 0.12, 369 रकबा 0.08, 370 रकबा 0.04, 371 रकबा 0.04, 372 रकबा 0.08, 373 रकबा 0.08, 374 रकबा 0.08 किता 9 रकबा 0.58 हैक्टैयर वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई का 1/8 हिस्सा जो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 4 के नाम अंकित है को कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.07.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

3/7/24

(गंगाधर मीना R.A.S.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:52:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner